

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना  
स०10/2022-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 जुलाई, 2022

सा.का.नि.....(अ) आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 44 के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2021-2022 में संकलित आवर्त दो करोड रुपए तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करता है ।

[फा.स.सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन)  
अवर सचिव